रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2001

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 20 फरवरी, 2001/1 फाल्गुन, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 20 फरवरी, 2001

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6) 21/2000-लैज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 15-2-2001 को अनुमोदित हिमाचल

4052-राजपत्र/2001-20-2-2001—1,476 (5675) मूल्य : 1 रुपया।

प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्यांक 20) को 2001 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव विधि।

2001 का अधिनियम संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 15 फरवरी, 2001 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 है ।

(2) यह 15 नवम्बर, 2000 से प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, —

(क) खण्ड 13 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(13-क) "कुटुम्ब" से, एक ही पूर्वज से अवजनित, दत्तक ग्रहण सहित, सभी सदस्यों का अविभक्त कुटुम्ब, अभिप्रेत है जो ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में यथा दर्शित स्थायी रूप में एक साथ निवास, पूजा तथा भोजन करता है ;" और

(ख) खण्ड (46) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(46-क) "वार्ड" से, अधिनियम की धारा 124 के अधीन यथा अवधारित, पंचायत क्षेत्र में एक-सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र, अभिप्रेत है ;" ।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में —

(क) उप-धारा (1) में,

(i) "प्रति वर्ष दो साधारण बैठकें करेगी, एक ग्रीष्म ऋतु में और दूसरी शीत ऋतु में" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर, "प्रति वर्ष चार साधारण बैठकें करेगी, और प्रत्येक बैठक वर्ष के जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्तूबर मास के प्रथम रविवार को होगी," शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ;

(ii) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा ; और

(ख) उप-धारा (3) में, --

(i) "इसके कुल सदस्यों की संख्या का पांचवां भाग होगी," शब्दों के स्थान पर, "ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई," शब्द रखे जाएंगे ; और

(ii) परन्तुक में, "इसके सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम दसवां भाग," शब्दों के स्थान पर "ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम पांचवां भाग" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 7-क का अन्त:-स्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:--

"7-क. उप-ग्राम सभा का गठन:--

(1) ग्राम सभा के प्रत्येक वार्ड के लिए उप-ग्राम सभा होगी।

(2) वार्ड के क्षेत्र में निवास करने वाले ग्राम सभा के सभी सदस्य, उप-ग्राम सभा के सदस्य होंगे।

(3) प्रत्येक उप-ग्राम सभा, प्रतिवर्ष दो साधारण बैठकें बुलाएगी और ऐसी बैठकों को बुलाने का उत्तरदायित्व, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य का होगा। उप-ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा की जाएगी, जो कार्यवाहियों को भी अभिलिखित करेगा।

(4) उप-ग्राम सभा की बैठकों का समय और स्थान, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा नियत और अधिसूचित किया जाएगा।

(5) उप-ग्राम सभा, ग्राम सभा की साधारण बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने सदस्यों को नाम निर्देशित करेगी और वह सदस्य ऐसी रीति से नाम निर्देशित किए जाएंगे जिसमें वार्ड के क्षेत्र में निवास करने वाले कुल कुटुम्बों का 15 प्रतिशत नाम निर्दिष्ट किया जाएगा बशर्ते कि नाम निर्देशनों का एक तिहाई महिलाओं से होगा :

परन्तु यह नाम निर्देशन ग्राम सभा के किसी सदस्य को, ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने से विवर्जित नहीं करेगा।

(6) उप-ग्राम सभा, अपने क्षेत्र से सम्बन्धित विवाधकों पर विचार कर सकेगी और ग्राम पंचायत को या ग्राम सभा को सिफारिशें कर सकेगी।

धारा 13 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 में, खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"(ङ) लोक सम्पत्ति जैसे कि साईन बोर्ड, सार्वजनिक सड़क पर मील पत्थरों, पथों, सिंचाई एवं पूर्ति स्कीमों, सार्वजनिक नलों, सार्वजनिक कुओं, वम्बों, सामुदायिक केन्द्रों, महिला-मण्डल भवनों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य/पशुपालन/आयुर्वैदिक संस्थान भवनों का संरक्षण ।" ।

धारा 110 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 110 के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:--

"परन्तु यह कि यदि उधार, आय बढ़ाने वाली परिसम्पत्तियों के लिए लिया जाना है और परियोजना, उधार देने वाले संस्थानों द्वारा आर्थिक वित्तीय रूप से व्यवहार्य निर्धारित की गई है, तो उधार लेने के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य नहीं होगा । तथापि परियोजना, जिसमें परियोजना की विशिष्टियां अंतर्वलित होंगी के ब्यौरों के बारे में सरकार को सूचित करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह और कि ग्राम पंचायत को, उधार लेने के लिए, ग्राम सभा का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना अपेक्षित होगा ।" ।

धारा 131 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 131 में, उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"(6) पंचायत में, उस विस्तार तक आकस्मिक रिक्तियां घटित होने की दशा में, कि पंचायत की बैठक बुलाने के लिए शेष निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या अपेक्षित गणपूर्ति पूर्ण नहीं करती है, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, तब तक जब तक इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार नए सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, पंचायत में घटित आकस्मिक रिक्तियों को पूर्ण करने के लिए व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु राज्य सरकार विशिष्ट आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए केवल, उसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित किया जाने और उस विशिष्ट पंचायत का पद धारण करने के लिए पात्र है ।" ।

धारा 138 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 138 में, उप-धारा (2) में, शब्द और चिन्ह "की पुष्टि कर सकेगी, उसे," के स्थान पर शब्द "को" रखा जाएगा ।

धारा 184 का प्रतिस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 184 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:--

"184 विकास योजनाएं तैयार करना.--

(1) प्रत्येक पंचायत, अनुसूची-1 तथा अनुसूची-2 म विनिर्दिष्ट कृत्य तथा ऐसे अन्य कृत्य की, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं जहां तक

उनके अपने-अपने क्षेत्र के भीतर ऐसे कृत्यों के अनुपालन करने हेतु, पंचायत निधियां अनुज्ञात करती हैं, प्रतिवर्ष विकास योजना तैयार करेगी ।

(2) प्रत्येक पंचायत, प्रति वर्ष अपने-अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए, विकास योजना की स्कीमें तैयार करेगी और इस अधिनियम के अधीन गठित की गई जिला योजना समिति को प्रेषित करेगी ।" ।

धारा 185 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 185 में,--

(क) उप-धारा (2) में, विद्यमान खण्ड (क) को, खण्ड (कक) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और ऐसे पुनः संख्यांकित खण्ड (कक) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड (क) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(क) राज्य सरकार द्वारा चयन किया जाने वाला मन्त्री, जो जिला योजना समिति का अध्यक्ष भी होगा; ", और

(ख) उप-धारा (5) का लोप किया जाएगा ।

2000 के अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां ।

11. (1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की हुई या की गई समझी जाएगी जैसे कि इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बात की गई हो या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 4 of 2001.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT) ACT, 2000

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 15TH FEBRUARY, 2001)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 *of* 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Fifty-first Year of Republic of India, as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2000.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 15th day of November, 2000.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),—

(*a*) after clause (13), the following shall be added, namely:—

"(13-*A*) "family" means a joint family of all persons descended from common ancestor including adoption, who live, worship and mess together permanently as shown in the parivar register of the Gram Panchayat;"; and

(*b*) after clause (46), the following shall be added, namely:—

"(46-*A*) "ward" means a single member territorial constituency in a Panchayat area as determined under section 124 of the Act;".

Amendment of section 5.

3. In section 5 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1),—

(*i*) for the words and sign "two general meetings in each year, one in the summer and the other in the winter", the words "four general meetings in each year and every meeting shall be held on the first Sunday of January, April, July and October" shall be substituted ;

(*ii*) first proviso shall be deleted; and

(*b*) in sub-section (3), —

(*i*) for the words "one-fifth of the total number of its members", the words "representation of at least one-third of the total

number of families represented by one or more members of the Gram Sabha" shall be substituted; and

(*ii*) in proviso, for the words "atleast one-tenth of the total number of its members", the words "representation of at least one-fifth of the total number of families represented by one or more members of the Gram Sabha" shall be substituted.

Insertion of section 7-A.

4. After section 7 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

"**7-A. Constitution of the Up-Gram Sabha.**—(1) There shall be a Up-Gram Sabha for each ward of a Gram Sabha.

(2) All members of the Gram Sabha residing within the area of the ward shall be members of the Up-Gram Sabha.

(3) Every Up-Gram Sabha shall hold two general meetings in each year, and it shall be the responsibility of the member of the Gram Panchayat representing the ward to convene such meetings. The meeting of the Up-Gram Sabha shall be presided over by the member of the Gram Panchayat representing the ward, who shall also record the proceedings.

(4) The time and place of the meetings of the Up-Gram Sabha shall be fixed and notified by the member of the Gram Panchayat representing the ward.

(5) The Up-Gram Sabha shall nominate its members to represent it in the general meeting of the Gram Sabha and these members shall be nominated in a manner so that 15% of the total families residing in the area of the ward get nominated provided that one-third of the nominations shall be of women :

Provided that this nomination shall not debar any member of Up-Gram Sabha from attending the general meetings of the Gram Sabha.

(6) The Up-Gram Sabha may deliberate on issues relating to its area and make recommendations to the Gram Panchayat or Gram Sabha.".

Amendment of section 13.

5. In section 13 of the principal Act, after clause (s), the following shall be added, namely :—

"(t) protect public property such as sign boards, mile-stones on public roads, paths, irrigation and water supply schemes, public taps, public wells, hand pumps, community centres, mahila mandal bhawans, School buildings, Health/Veterinary/Ayurvedic Institution buildings.".

Amendment of section 110.

6. In section 110 of the principal Act, the following provisos shall be added, namely :—

"Provided that if loan is to be raised for creation of income generating assets and the project is assessed by the lending institution as economically/financially viable, previous sanction of the State

Government shall not be essential for taking a loan. It shall, however, be mandatory to inform the Government about the details of the project which will include the particulars of the project :

Provided further that the Gram Panchayat shall be required to obtain prior approval of the Gram Sabha for raising a loan.".

Amendment of section 131.

7. In section 131 of the principal Act, after sub-section (5), the following shall be added, namely :—

"(6) In the event of occurrence of casual vacancies in a panchayat to the extent that the number of the remaining elected office bearers do not fulfil the quorum required for convening a meeting of the Panchayat then the State Government or the prescribed authority may nominate persons to fill the casual vacancies occurred in a Panchayat till new members are elected in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder :

Provided that the State Government will nominate only that person to fill a particular casual vacancy who is eligible to be elected as an office bearer of a Panchayat and to hold office of that particular Panchayat in accordance with the provisions of this Act.".

Amendment of section 138.

8. In section 138 of the principal Act, in sub-section (2), the word "confirm" shall be omitted.

Substitution of section 184.

9. For section 184 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"184. **Preparation of Development Plans.**—(1) Every Panchayat shall prepare every year a development plan to perform functions specified in Schedule-I and Schedule-II and such other functions as may be specified by the State Government, in so far as the Panchayat funds allow to perform such functions within its respective area.

(2) Every Panchayat shall prepare every year a development plan of schemes for economic development and social justice for their respective area and submit it to the District Planning Committee constituted under this Act.".

Amendment of section 185.

10. In section 185 of the principal Act, —

(*a*) in sub-section (2), the existing clause (*a*) shall be re-numbered as clause (*aa*) and before clause (*aa*) so re-numbered, the following clause (*a*) shall be inserted, namely :—

"(*a*) A Minister to be chosen by the State Government who shall also be the Chairperson of the District Planning Committee;" ; and

(*b*) sub-section (5) shall be omitted.

Repeal of Ordinance No. 1 of 2000 and savings.

11. (1) The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2000 (1 of 2000) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the repealed Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।